

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
॥ अधिसूचना ॥

सं०सं०-18/विधि-09/08...770(18)...../स्वा० भारत सरकार के नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 को स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचन संख्या-926 (18) दिनांक 16.08.2011 द्वारा यथावत् अंगीकृत किया गया है एवं बिहार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013 को विभागीय अधिसूचना संख्या-1845 (18) दिनांक 28.11.2013 द्वारा बिहार राज्य में लागू किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-2136 (18) दिनांक 30.12.2013 द्वारा नैदानिक स्थापन राज्य परिषद् और जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार का गठन किया गया है।

इस अधिनियम एवं नियमावली के कार्यान्वयन हेतु उक्त क्रम में राज्य परिषद् का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

नैदानिक स्थापन राज्य परिषद् :-

(क)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार	स्वास्थ्य विभाग	अध्यक्ष
(ख)	निदेशक प्रमुख, (स्वास्थ्य सेवायें)	स्वास्थ्य विभाग	सदस्य सचिव
(ग)	भारतीय चिकित्सा प्रणाली की विभिन्न धाराओं के निदेशक	निदेशक, देशी चिकित्सा	सदस्य
(घ) (i)	भारतीय आयुर्विज्ञान राज्य परिषद् के प्रतिनिधि	डॉ० रमण कुमार वर्मा 20, डॉ० कॉलोनी, पी० ओ० डी०एम०कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा	मनोनीत सदस्य
(ii)	राज्य दन्त चिकित्सा परिषद् के प्रतिनिधि	डॉ० धर्मेन्द्र सिंह प्रध्यापक एवं विभागाध्यक्ष पटना डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल	मनोनीत सदस्य
(iii)	बिहार परिचारिका निबंधन परिषद् के प्रतिनिधि	श्रीमती मुनमुन मिश्रा निबंधक	मनोनीत सदस्य
(iv)	बिहार राज्य भेषज परिषद् के प्रतिनिधि	श्री वृज कुमार साहु सदस्य-सह अध्यक्ष	मनोनीत सदस्य
(ड.)	बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा परिषद्	(1) श्री रामेश्वर सिंह सदस्य (2) डॉ० (श्रीमती) रजिया शाहिन सदस्य (3) श्री यतिन्द्र नारायण सदस्य	मनोनीत सदस्य
(च)	बिहार कौंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन	डॉ० सहजानन्द प्रसाद सिंह तिलक नगर, पटना-20	मनोनीत सदस्य
(छ)	पारा चिकित्सा प्रणाली के प्रतिनिधि	श्री विश्वनाथ सिंह महामंत्री, बिहार राज्य चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ	मनोनीत सदस्य
(ज)	स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन (इंडियन रेड क्रॉस सोसाईटी) के प्रतिनिधि	डॉ० दीपक शरण चिकित्साधीक्षक, पॉली-क्लीनिक	मनोनीत सदस्य

आनन्द किशोर
सरकार के सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 77C(18) / स्वा0

पटना, दिनांक :- 08.05.

/2015

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

ज्ञापांक :- 77C(18) / स्वा0

पटना, दिनांक :-

सरकार के सचिव।

08.05.2015

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/सभी विभागों के प्रधान सचिव/सभी सचिव, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।